(6)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय,ग्वालियर केम्प–सागर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक– /निगरानी/2013–14

मोहनलाल तनय भैयन यादव निवासी ग्राम डिकोली
तहसील बड़ागांव धसान जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
.........निगराकार

बनाम्

1– जगदीश लोधी, 2– जगतनारायण लोधी पुत्रगण
श्री शिवदयाल लोधी, 3– महिला प्रेम दुलैया बेवा
श्री शिवदयाल लोधी, निवासीयान ग्राम डिकोली
तहसील बड़ागांव धसान जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
........प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क. 217/निगरानी/2008–09 के आदेश दिनांक 20–12–2013 के विरूद्ध से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय सादर निम्न प्रकार है :–

(1) यह कि ग्राम डिकोली चक्र–2 रा.नि.मं. बड़ागांव धसान की शासकीय भूमियों पर अनावेदकों का नाम फर्जी तरीके से किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज पूर्व में हल्का पटवारियों द्वारा किया गया था, जिसकी शिकायत निगरानी के तौर पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गयी थी, जिसमें तहसीलदार बड़ागांव धसान से विस्तृत जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट ली गयी थी और उसमें भी फर्जी प्रवृष्टि होना प्रमाणित पाया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुण–दोषों पर विचार किये बगैर ही निर्णय पारित किया है जो निरस्ती योग्य है।

(2) यह कि, यह प्रकरण शासन हित में है आदेश के लिये कई महीनों तक सुरक्षित रखा गया, और प्रकरण लम्बित से प्राप्त लिखकर पक्षकार शिकायतकर्ता/निगराकार को सूचना दिये बगैर ही एक अन्य अपील/58/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 16–11–2009 की आड़ लेते हुये निर्णय कर दिया गया, जबकि इस प्रकरण में कुछ खसरा नंबर अलग थे। यह भूमि सुजारा बांध परियोजना में अर्जित की जा रही है, और इस भूमि का मुआवजा प्रतिनिगराकारगण प्राप्त करने की फिराक में हैं जिस कारण उन्होंने सांठ–गांठ करके गलत आदेश पारित करा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में तहसीलदार के प्रतिवेदन का कोई हवाला नहीं दिया और न ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा नकलों जिसमें अवैध प्रवृष्टि होना प्रमाणित है के संबंध में कोई आदेश पारित किया है, ऐसा आदेश नियम विरुद्ध होने से खारिजी योग्य है।

(3) यह कि, निगरानी समयावधि व श्रीमान के सुनवाई क्षेत्राधिकार में है।

अतः श्रीमान से विनय है कि चुनौतित प्रकरण तलब कर शासन हित को ध्यान में रखते हुये अवैध प्रविष्ट पाये जाने पर प्रश्नाधीन भूमियां म.प्र. शासन के नाम पूर्व की भांति राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करें।

दिनांक– 01–02–2014 विनयी/निगराकार

स्थान– टीकमगढ़

मोहनलाल तनय भैयन यादव निवासी ग्राम डिकोली
तहसील बड़ागांव धसान जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

द्वारा अधिवक्ता
(नीलेश नायक, एडवोकेट)

R- 672 III/14 दि० 8/3/2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ताक्षर
23/11/2015	आवेदक अभि० में प्रस्तावित किया/ प्रकरण कायम किया जावे हो। CF. 23/2/16 आदेश ह०	
23/2/16	आवेदक द्वारा एवं आवेदक अभिभावक द्वारा जब से प्रकरण प्रस्तुत किया है तब से लगभग 10 पेशियों से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण में अरुचि के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। ह० सदस्य	